न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 225/1998
आदेश दिनांक: 17.02.1983

उनवान

1. मु0 धीरी बैवा धन्ना जाट निवासी जोजवा हाल जोजे तहसील माण्डलगढ़।
2. भोलू पिता छगना जाट निवासी ककरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी। मृतक जरिये वैध प्रतिनिधि:–

1/1 रामेश्वर पिता भोलू जाट निवासी ककरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी।
1/2 जगदीश पिता भोलू जाट निवासी ककरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी।
1/3 नारायण पिता भोलू जाट निवासी ककरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी।
1/4 हरिलाल पिता भोलू जाट निवासी ककरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी।
1/5 राधा पत्नि भोलू जाट निवासी किशनगढ़ तहसील कोटड़ी।
1/6 विष्णु पत्नि भैरू जाट निवासी कांदा तहसील कोटड़ी।

––वादीगण

बनाम

1. मथूरा पिता छीतर जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़। मृतक वैध प्रतिनिधि:–
   1/1 मु0 मगनीबैवामथूराजाटनिवासीकिशनगढ़ तहसीलमाण्डलगढ़।
2. हीरा पिता जवाना जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़। जरिये वैध प्रतिनिधि –
3. बालू पिता हीरा जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़। जरिये वैध प्रतिनिधि:–
   3/1 मु0 नंदू धर्मपत्नि स्व0 बालु जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
   3/2 राजू पिता बालू जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
   3/3 सन्नू पुत्री बालू जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
   3/4 हरिशंकर पिता नाथू जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
   3/5 सपना पुत्री नाथू जाट जरिये संरक्षक मंजू पत्नि स्व0 नाथू जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
   3/6 मंजू पत्नि नाथू जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
4. रामेश्वर पिता हीरा जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
5. भागीरथ पिता उरजन जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़। मृतक जरिये वैध प्रतिनिधि:–
   5/1 गिरधारी पिता भागीरथ जाट वयस्क निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
   5/2 मु0 सोसर पुत्री भागीरथ जाट निवासी दाँथल तहसील माण्डलगढ़।
6. भुमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादीगण

Signature Not Veri
Digitally signed by Uts
Date: 2021.03.04 17:06
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री महेशचन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता वादीगण)
2. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता प्रतिवादी)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 01.03.2021

पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली प्रतिवादी प्रार्थी संख्या 3 की ओर से दिनांक 17.09.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के संक्षेप में तथ्य

इस प्रकार है कि हमने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन किया प्रतिवादी संख्या 3 बालू ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि दिनांक 27.02.1986 को उप जिलाधीश महोदय के आदेश से ना.स. 182 दर्ज किया गया तथा इसी नामान्तकरण को उपजिलाधीश महोदय के मि.कं. 9/83 के सम्बन्ध में घीसी पुत्री धन्ना के नाम दर्ज करने को पेश हुआ घीसी के जरिए नोटिस तलब किय जाने के बाजजुद भी वह उपस्थित नही हुई। बालु जाट के गोदनामा अनुसार जानकारी की जाति रिवाज अनुसार बालू धन्ना के गोद रहा व भूमि पर कब्जा भी बाजु दत्तक पुत्र धन्ना का है। अतः नामन्तकरण घीसी पुत्री धन्ना के बजाय बालु मु0 बन्ना धन्ना का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। वादीया द्वारा आदेश दिनांक 27.2.1986 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण को वादीया घीसी अथवा उसके विधीक प्रतीनिधियों द्वारा न तो किसी न्यायालय मे चुनौती दी गई न ही किसी न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण खारिज किया है अतः वादपत्र वादीगण इसी स्टेज पर खारीज किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया की वादीया घीसी,धन्ना पिता जवाना की एकमात्र पुत्री संतान होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा धन्ना की मृत्यु के बाद नियमानुसार भुमि धीसी के नाम खातेदारी हक के दर्ज की गई। दिनांक 27.2.1986 को घीसी के बजाय बालु जाट के नाम नामान्तकरण खोलने का किसी प्रकार का काई आदेश नहीं दिया गया यदि ऐसा कोई आदेश पारित भी किया गया हो तो घीसी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये दिये गया है जो अवैध होकर शुन्य प्रभावी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नं. 3 आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावें

प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सी.पी.सी पर बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। प्रतिवादी नं. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पर निर्णय करने से पुर्व वादपत्र के तथ्यो का वर्णन किया जाना न्यायोचित समझते है। वादपत्र का विस्तृत/संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत कर ग्राम जोजवा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 142 आराजी नम्बर 1440 रकबा 411/1, 1441 रकबा 3111/3, आराजी नम्बर 1442 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1443/4, 14444 रकबा 41111/1, 1445 रकबा 31/4, 1598 रकबा 2/3, 1599 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1609 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1614 रकबा 511/3, 1717 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 1975 रकबा 611/4, 1998 रकबा 31/2, 2000 रकबा 4/2 किता 14 रकबा 441/1 लगानी 83.49 नया पैसा स्थित है। जो चाह नम्बर 1439, 1608, 1719 से पावल है व खाता नम्बर 160, 161, 112 पर चाह नम्बर 1439 रकबा 21/3 गै0मु0 1608 रकबा 1/2 गै0मु0 1719 रकबा 11/ गै0मु0 किता 3 रकबा 3 बीघा मुजवादिया व प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 के सामलाती खाता होकर गै0मु0 कुवे की जमीन होकर इस का पाती बटवाड़ा नही हो सकने के कारण मुजवादिया व प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 के नाम सामलाती चले आ रहे है। खाता नम्बर 1 में वर्णित आराजियात वादिया के दादा जवाना की महररूसी है। जवाना के 3 लड़के है छीतर, धन्ना, हीराथे। छीतर की मृत्यु हुये 4 साल हो गये उसके 1 लड़का मथूरा [illegible] धन्ना मुजवादिया के पिता की मृत्यु माह सुदी 15 संवत 2038 में हो गई जिसके [illegible] न होकर में वादिया की एकमात्र इकलौती पुत्री हूँ। हीरा भी मौजूद है जिसके 2 [illegible] प्रतिवादी बालू और रामेश्वर मौजूद है। वर्णित आराजियात मुजवादिया के पिता धन्ना व मेरे दादा छीतर और मेरे काका हीरा के सामलाती खाते की होकर छीतर व धन्ना के मरने पर यह आराजियात हम पक्षकारान् के खाते दर्ज चली आ रही है। वादिया के पिता धन्ना की मृत्यु माह सुदी 15 संवत 2038 को हुई और उसके मरने के बाद वर्णित आराजियात धन्ना के बजाय मुजवादिया के खाते में जरिये इन्तकाल नम्बर 182 दिनांक 27.11.1981 से खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। खातानम्बर 142 में वर्णित आराजियात का अभी तक बटवाड़ा नही हुआ है। इस भूमि पर मुजवादिया का 1/3 हिस्सा है। बाकी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Cha
Date: 2021.03.04 17:06:03 IS
Reason: SelfAttested

का है। और 1/3 हिस्से के हिसाब से मुजवादिया के 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि पांती आती है। और इसी भूमि का लगान 27.17 पैसे के हिसाब से मुजवादिया के हिस्से आता है। भूमि का बटवाडा नही होने से सामलाती ही लगान जमा सरकार में होता है। वर्णित आराजियात चाह नम्बर 1439, 1608, 1719 से पीवल होती है जो भागीरथ व हम पक्षकारान के सामलाती दर्ज है। इस चाह पर मुज वादिया का भी 10 बिस्वा भूमि पर अधिकार है। भागीरथ पिता उरजन का डेढ बीघा पर अधिकार होने से उसको फरीक मुकदमा बनाया गया है। खाता नम्बर 142 में वर्णित आराजियात मे से 1/3 हिस्से पर में वादिया और मेरे पिता धन्ना का हिस्सा होने से सामलाती काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के बाद से प्रतिवादी नम्बर 1 मुज वादिया को ग्राम जोजवा से भगा दिया पर काश्त करने से तो मना नही किया। परन्तु काश्त करने से महरूम हो गई हूँ। और खाता नम्बर 142 पर प्रतिवादीगण जबरन कृषि करने लग गये। इसलिए प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 तक 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा हें खाता नम्बर 142 में वर्णित आराजियात पर मेरे पिता की मृत्यु के बाद से काबिज है। और मेरी 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमो की हेसियत से काबिज है इसलिए 1/3 लगान 27 रू. 67 पैसे का 50 गुणा मुआवजा भी संवत 2038 माहसुदी 15, 1 साल 10 का 2536.80 रू. जब तक मुकदमा चले तब तक वादिया प्रतिवादीगण से प्राप्त करने की अधिकारीणी है। वर्णित आराजियात पर मेने प्रतिवादीगण को बटवाड़ा करने हेतु कहा तो वे इन्कार हो गये। वर्णित आराजियात का नियमानुसार बटवाड़ा कराने व कब्जा दिलाने हेतु यह वाद धारा 53, 183 रा0टि0ए0 के तहत कोर्ट फीस पर पेश है। मिक वाद बटवाड़ा का है वाद अन्दर अवधि के पेश है। वादिया आराजियात 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि को अलग दर्ज करने की डिक्री फरमावें। कब्जा दिलाने व लगान के 1/3 हिस्से का 50 गुणा मुआवजा 1383.50 पैसे एक साल 10 माह का 2536.80 रू. जब तक वादिया का कब्जा न हो तब तक का दिलाया जावें। हर्जा खर्चा मुकदमा व मै हनताना वकील वादी दिलाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी विपक्षीगण 1 लगायत 4 की और से दिनांक 23.03.1983 को प्रस्तुत किया गया। वाद ग्रस्त जायदाद सामलाती होना स्वीकार नही है। वादिया वर्णित आराजियात की किसी भीप्रकार से खातेदार नही है। वादिया के नाम खोला गया नामान्तरकरण गलत खोला गया है। इसलिए स्वीकार नही है। प्रतिवादी नम्बर 3 धन्ना का गोदपुत्र है। इसलिए नामान्तकरण बजाय वादिया के प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम पर खोला जाना चाहिए। गलत नामान्तरण खोल दिये जाने वादिया खातेदार काश्तकार नही हो जाती है। विवाद ग्रस्त आराजियात मौके पर विभाजित होकर प्रतिवादी गण अपने अपने हिस्से पर बरसाो से काश्त करते चले आ रहे है। और लगान भी हम प्रतिवादी गण अपने हिस्से का जमा कराते चले आ रहे है। वादिया का विवाद ग्रस्त आराजी पर कभी भी कबजा नही रहा है। वादिया ग्राम जोजवा मे न रहकर ग्राम ककरोलिया घाटी में ही विगत 15 सालों से रहती आ रही है। वादिया के पिता धन्ना के मरने के बाद ग्राम जोजवा मे आयी थी और 3–4 रोज रहकर चली गई। वादिया विवादग्रस्त 1/3 हिस्से पर भी कभी कबिज नही रही है। 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा है वह काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रेकॉर्ड में खाता सामलाती दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु मौके पर विगत 20 साालो से बटवाड़ा कर रखा है। और माफिक बटवाड़ा प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आर है। इसलिए वादिया किसी प्रकार से वादिया ने कभी भी बटवाड़ा कराने के लिए कहा और न ही उसे बटवाड़ा कराने के अधिकार है। वादिया का विवाह 20 साल पूर्व धन्ना ने ग्राम ककरोलिया घाटी में कर दिया था और वह वहाँ रहती है। कभी ग्राम जोजवा मे आयी ही नही। मृतक धन्ना के कोई संतान नही होने से प्रतिवादी नम्बर 3 को गोद लिया गोद रश्म संवत 2024 को सम्पन्न हुई। और तब से ही प्रतिवादी नम्बर 3 धन्ना की सेवा सुश्रुषा करता चला आ रहा है। और धन्ना 12 साल तक बीमार रहा तब भी प्रतिवादी नम्बर 3 ने ही सेवा की और ईलाज पर भी 10 हजार रूपये खर्च किये। और मृत्यु उपरान्त भी उसका चाल चला वाकाज करियावर भी प्रतिवादी नम्बर 3 ने ही किया। वादिया का विवाह हो जाने से उसके पिता ने तो कन्यादान कर दिया और हिन्दू रिति निती से उसका सारा जायदाद वगैरह उसके पति की जायदाद ही उसकी होती न की पिता की। वादिया को लोभ लालच आगया इसलिए वादपत्र पेश किया जो खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Cha
Date: 2021.03.04 17:06:03 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 14.06.1983 को उक्त प्रकरण में तनकी कायम की गई।

तनकी संख्या 1 :– आया वादपत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजियात पक्षकारान को महरुसी सामलाती होकर 1/3 हिस्से पर वादिया का स्वामित्व होने से खातेदार की हेसियत से दर्ज रिकॉर्ड है। जिम्मैवादीया...............

तनकी संख्या 2 :– आया कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजियात में से 1/3 हिस्से अनुसार जरीये पाती बटवाड़ा 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्राप्त करने की अधिकारी णी होकर कब्जा प्राप्त करने की हकदार है। जिम्मैवादीया...............

तनकी संख्या 3 :– आया कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजियात में से 1/3 हिस्से की भूमि पर से प्रतिवादी गण नम्बर 1 से 4 ने कब्जा हटाकर अतिक्रमो की हेसियत में से 2038 माह बुदी 15 से काबिज है इसलिए वादिया लगान के 1/3 हिस्से 27.67 नये पैसे के 50 गुणा मुआवजा एक साल का 1343.80 तारीख बेदखली से कब्जा प्राप्ती तक पाने को अधिकारी है। जिम्मैवादीया...............

तनकीसंख्या 4 :– आया प्रतिवादी नम्बर 3 मृतक धन्ना के कोई संतान नही होने से संवत 2024 से गोदपुत्र की हेसियत से धन्ना के हिस्से को आराजियात पर 15 साल से काश्त करता चला आ रहा है। जिम्मैप्रतिवादीगण...............

तनकी संख्या 5 :– आया मृतक धन्ना का चाल चला वाकाज करियावर प्रतिवादी नम्बर 3 ने करके 18 हजार रू. खर्च किये तथा जाती समाज के पंचो ने धन्ना को पगड़ी प्रतिवादी नम्बर 3 के बधंवाई कर मृतक धन्ना का उत्तराधिकारी जाती रिवाज के अनुसार घोषित किया जावें। जिम्मैप्रतिवादीगण...............

तनकी संख्या 6 :– आया प्रतिवादी नम्बर 3 मृतक धन्ना के 1/3 हिस्से पर 15 साल से लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा एडवांस प्रोनेनियन को तारीख में आता है। और वह बेदखली योग्य नही है।

जिम्मैप्रतिवादीगण...............

वादिया ने वादपत्र के सर्मथन मे स्वयं के बयान पी0डब्ल्यु0 1 घीसी पिता धन्ना जाट निवासी ककरोलिया घाटी, एवं रामेश्वरलाल पिता बालु लाल जाट पटवारी जोजवा के बयान वादीया के सर्मथन मे कराये गये ततपश्चात शहादत वादी बंद की जाकर पत्रावली शहादत प्रतिवादी मे नियत कि गई। शहादत प्रतिवादी मे प्रतिवादी नं. 3 बालू के बयान लिये गये व प्रतिवादी के सर्मथन डी0डब्ल्यु0 2 भवानी लाल पिता औंकार जाट निवासी जोजवा, डी0डब्ल्यु0 3 लक्ष्मण पिता सोनाथ जाट निवासी जोजवा, डी0डब्ल्यु0 4 नगजीराम पिता चतरभुज जाट निवासी जोजवा, डी0डब्ल्यु0 5 उदय राम पिता रघुनाथ जाट निवासी जोजवा, डी0डब्ल्यु0 6 गोदू पिता सतरूपा जाट निवासी जोजवा के बयान गवाह पेश किये गये। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर शहादत प्रतिवादी बंद कर पत्रावाली बहस अन्तिम हेतु नियत कि गई।

दिनांक 03.12.1985 को वादिया का वाद आंशिक स्वीकार इस प्रकार कि या गया कि वह मृतक धन्ना की वारीस होकर सामलात खाते की आराजियात का तीसरी पाती बटवाड़ा कराने की हकदार है व 44 बीघा 6 बिस्वा में से 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नियमानुसार बटवाड़ा करने के लिये तहसीलदार को कहा गया व अ[illegible] वादिया पाने की हकदार नही होगी।

दिनांक 22.08.1998 को पत्रावली पेश हुई पत्रावली [illegible] अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 3844 दिनांक 02.06.1998 इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस प्रकरण में अपील संख्या 8/94 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा के यहां न्यायालय सहायक कलक्टर माण्डलगढ़ के निर्णय 03.11.1985 की प्राथमिक डिक्री की अपील की गई थी जो दिनांक 27.02.1998 को अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील को नोट प्रेस करने से खारीज की गई। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के आदेश दिनांक 03.11.1985 को जारी सुदा है परन्तु तहसीलदार माण्डलगढ़ से बटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त नही हुये है।

Signature Not Ve
Digitally signed by Ut
Date: 2021.03.04 17:
Reason: SelfAttested

दिनांक 08.07.1999 को पत्रावली श्रीमान भू–प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के क्रमांक 405 दिनांक 14.6.1999 से तलब की जाने से जरिये अग्रेषण पत्र के साथ पत्रावली प्रेषित की गई।

प्रतिवादी नं. 3 बालू ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.12.1985 से क्षुब्ध हो श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय भीलवाड़ा के न्यायालय मे अपील पेश की जो दिनांक 03.08.1999 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के पारीत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.12.1985 को अपास्त करते हुए इस टिप्पणी के साथ रिमांड कर प्रकरण मे उभय पक्ष को सुनवाई, साक्ष्य शहादत प्रस्तुत करने, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन कर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड कर दिया गया।

दिनांक 01.08.2011 को पत्रावली भु–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा से प्राप्त हुई। वकील वादीगण की ओर से अधिवक्ता महेश चन्द सुखवाल ने प्रार्थना पत्र मय अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण पुर्व से पंजीबद्व है अतः उभय पक्षो की तलबी कराई गई। दिनांक 21.9.2011 को वादीया मु0 घीसी के ओर से महेश चन्द्र सुखवाल ने पैरवी हेतु उपस्थिति दी तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से संदीप शर्मा ने यु.टी.ली एवं अधिकार आयन्दा पेश करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 1,2,5 फोत होना तामिल कुनिन्दा ने बताया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारीत किये गये।

दिनांक 21.09.2011 को वादिया की और से अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र सुखवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 फोत होना बताया। दिनांक 26.03.2012 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 के वारीसान सोसर, मगनी, गिरधारी की तामील 16.01.2012 को हो गई। अतः एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारीत किये गये।

दिनांक 12.12.2012 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने नई तनकियात कायम नही करना चाहते है। तथा साथ ही अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वादी की ओर से पूर्व में लेखबद्ध कराये गए बयानों के अलावा नए गवाह प्रस्तुत नही करना चाहा। अतः शहादत वादी बन्द की जाकर पत्रावली शहादत प्रतिवादी हेतु नियत की गई। दिनांक 17.06.2013 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई गवाह पेश करना नही चाहा। शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर बहस अन्तिम हेतु नियत की गई। दिनांक 17.01.2013 से लेकर दिनांक 22.06.2016 तक पत्रावली इसी स्टेज पर चली। दिनांक 04.10.2016 को अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3–4 सी.पी.सी. पेश कर वादीया की मृत्यु हेा जाना जाहिर किया तथा दिनांक 07.03.2017 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. स्वीकार करने में कोई आपति नही है। मृतक घीसी जाट के वारीसान रामेश्वर पिता भोलू जाट, जगदीश पिता भोलू जाट, नारायण हरिलाल, राधा पत्नि भोलू जाट, विष्णु पत्नि भैरू जाट, को प्रकरण में वादी बनाया गया है।

दिनांक 25.04.2017 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 सहपठीत धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया गया कि बालू पिता हीरा जाट निवासी जोजवा का देहवसान करीब 2 माह पूर्व हो चुका है। बालू पिता हीरा जाट के वारीसान नन्दू पत्नि स्व0 बालू जाट, राजू पिता बालू जाट, अन्नू पुत्री बालू जाट उक्त वारीसान को प्रतिवादीगण बनाये जाने का आदेश प्रदान करावें। दिनांक 07.11.2017 को मृतक बालू के वारीसान की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी बालू जाट की मृत्यु दिनांक 15.10.2016 को हो चुकी थी। जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.201[illegible] 6 माह बाद पेश किया गया है जो विधि के अनुसार मियाद से बाहर है। पक्षकार [illegible] मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि के पेश नही है। ऐसी स्थिति में वादपत्र [illegible] है। खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah C
Date: 2021.03.04 17:06:03
Reason: SelfAttested

दिनांक 15.01.2019 को वकील वादी की और से लिखित बहस प्रस्तुत [illegible] गई। वादिया का अभिवचन है कि ग्राम जोजवा की सरहद में 14 रकबा 44 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादीया का 1/3 हिस्सा मथूरा पिता छीतर व उसके वारीसान का है। हीरा और उसके वारीसान का 1/3 हिस्सा है मृतक घीसी के वारीसान का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी बालू पिता हीरा जाट मृतक धन्ना पिता जवाना का गोदपुत्र है धन्ना के हिस्से पर काबिज है। दोनो पक्षकार इस तथ्यो को स्वीकार करते है कि वादीया धन्ना पिता जवाना जाट की पुत्री है। वादीया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की

धारा 8 में दी गई अनुसूची में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है व हक प्राप्त करने की अधिकारीणी है। धन्ना पिता जवाना जाट का गोदपुत्र है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिवार में जो स्टेटस रखता है उसकी घोषणात्मक आज्ञा सक्षम दीवानी न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नही है। प्रतिवादी बालू ने धन्ना का गोदपुत्र घोषित कराने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर नही किया है। हिन्दू एडोपशन एक्ट के तहत गोद जाने वाले व्यक्ति के माता पिता उस व्यक्ति को भौतिक रूप से गोद प्राप्त करने वाले माता पिता की गोदी में बिठाते है धार्मिक अनुष्ठान करते है और गोद जाने वाले पुत्र की आयु 15 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। विवादित भूमि वादिया के पिता की सामलाती भूमि है। विवादित भूमि वादिया की पुश्तेनी भूमि है। पुश्तेनी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा नही होता है। खातेदारी अधिकार मालिकाना अधिकार नही है। बालू के गवाहानो ने कथन पगड़ी बाधने का किया है। परन्तु किसी ने भी यह नही कहा है कि बालू के माता पिता ने धन्ना और उसकी पत्नि को गोद लिया हो। राजस्व अधिकारियो ने वादिया घीसी का धन्ना पिता जवाना के स्थान पर विधि अनुसार नामांकन किया है। नामान्तरण प्रक्रिया लगान वसूली के लिए होती है। नामान्तकरण मात्र से अधिकार पैदा नही हो जाते है। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महो. भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 03.08.1999 के अनुसार प्रकरण को न्यायालय श्रीमान में प्रति प्रेषित किया है। वादिया की और से स्वयं के बयान हल्का पटवारी के बयान पत्रावली पर उपलब्ध है वादिया 1/3 हिस्से की हकदार है। वादिया का अभिवचन मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। वादिया जिस अनुतोष की हकदार व दिलाया जावें।

दिनांक 23.12.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 3 की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 व धारा 151 जा0दी0 मय दस्तावेज पेश किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 29.11.2020 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 पेश किया गया अधिवक्तागण की बहस सूनी गई। जिस पर दिनांक 18.08.2020 को उभयपक्ष बहस सूनी जाकर न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत आदेश 8 नियम 1 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 15.02.2021 को पत्रावली आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर बहस हेतु नियत होकर जिसपर उभयपक्ष सूनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व वादीगण द्वारा पेश जवाब का विस्तृत विवेचन हमने पूर्व में कर दिया है।

हमने बहस अधिवक्ता पक्षकारान् पर मनन किया। एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 41 अनुसार वादग्रस्त भूमि उप जिलाधीश महोदय के आदेश मिसल संख्या 1/83 में पारीत आदेश की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार वादीया घीसी को जरिये नोटिस तलब किये जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नही हुई जिससे ग्राम पंचायत जोजवा द्वारा बालू जाट के गोदनामा अनुसार जानकारी ली एवं जाति रिवाज अनुसार बालू को धन्ना के गोदपुत्र रखा व कब्जा भी धन्ना के दत्तक पुत्र बालू का है जिसपर नामान्तकरण घीसी पुत्री धन्ना के बजाय बालू मुतबन्ना धन्ना का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। वादीया द्वारा उक्त नामान्तकरण को खारीज करने बाबत् किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दह गई। तथा ना ही किसी न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण खारीज किया गया है। साथ ही वादिया द्वारा धारा 53–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 53 के अन्तर्गत वह व्यक्ति ही वाद पेश कर सकता है, जो अभिलिखित खातेदार हो, तथा कब्जेयाबी की उसी व्यक्ति के पक्ष में जारी की जा सकती है जो खातेदार हो। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादीया वर्तमान में खातेदार अभिलिखित नही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह खातेदारों के मध्य ही विभाजन किया जा सकता है त कब्जेयाबी की डिक्री भी खातेदार के पक्ष में जारी की जा सकती है। वादपत्र के अनुतोष में भी वादिया द्वारा विभाजन व कब्जेयाबी का अनुतोष चाहा है। जबकि वदीया राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार ही अभिलिखित नही है तो विभाजन व कब्जेयाबी का अनुतोष प्राप्त करने कि अधिकारीणी नही रहती हैं। यहा यह भी विवेचन किया जाना सुसंगत है कि जब पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से वादीया को यह भलीभांति ज्ञात हो चुका है कि वह राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज नही है फिर भी वादीया द्वारा वादपत्र में किसी प्रकार का संशोधन नही करवाया गया जिससे जाहिर होता है कि वादीया

Signature Not Verifi
Digitally signed by Utsah
Date: 2021.03.04 17:06:0
Reason: SelfAttested

स्वयं अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नही है। वादीया द्वारा इस प्रकरण में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई अनुतोष ही नही चाहा गयाहै।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार उप जिलाधीश महोदय की मिसल नम्बर 1/83 की पालना में नामान्तकरण संख्या 182 दिनांक 27.05.1986 अनुसार वादिया का नाम हटाया जाकर वादग्रस्त भूमि बालू मु0 धन्ना के नाम दर्ज की गई है। पक्षकार द्वारा उक्त नामान्तकरण की कोई अपील नही करना पत्रावली से जाहिर है। वादिया द्वारा धारा 53–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जो बेदखली एवं विभाजन का है। जबकि वादिया को नियमानुसार धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। वादीया खातेदार काश्तकार नही होने से इस स्टेज पर वाद पत्र वादीगण चलने योग्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 3 आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वादीगण खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् स्वयः अपना–अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 01.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.) 4/3/21
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Ch
Date: 2021.03.04 17:06:03 I
Reason: SelfAttested